

पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :- 2022/24

1. अमरजीत पुत्र जोगेन्द्रराम जाति बाजीगर निवासी चक 1 पीडब्ल्युएम खाजूवाला।

.....वादीगण

बनाम

1. चन्दाराम पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल निवासी मथानिया तह: औसिया जिला जोधपुर।
2. फूसाराम पुत्र चैनाराम जाति बावरी निवासी मथानिया निवासी मथानिया तह: औसिया जिला जोधपुर।
3. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. उपपंजीयक खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 आरटीएक्ट

—: निर्णय :-

दिनांक :- 31.01.2022

पत्रावली पर गौर किया गया। अदालत का मानना है कि इस मामले में कोई कॉज ऑफ अराइज नहीं हो रहा है क्योंकि रजि. एक्ट 1908 की धारा 17 व 49 के मद्देनजर अपंजीकृत दस्तावेज की बुनियाद पर किसी व्यक्ति के पक्ष में 100 रु से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार कायम नहीं हो सकता है। इसलिए अभिकथित अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर वादी के पक्ष में विवादित जीमन के संबंध में कोई अधिकार सृजित नहीं होता है। इसलिए O7R11 व धारा 151 सीपीसी के तहत यह दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)